न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 90/2020
GCMS NO. : 2020/00234

–:: वादीगण :– बनाम –:: प्रतिवादीगण :–

वादीगण

1. पुखाराम उर्फ पुखराज माता चुन्नी देवी पुत्र तुलसाराम
2. नेमीचन्द उर्फ नेमाराम माता चुन्नी देवी पुत्र तुलसाराम जातियान– रेगर, निवासीगण– केसरपुरा, तहसील– जैतारण, हाल निवासी– झूंठा तहसील– रायपुर राज0।

नोट– वादी संख्या 02 नेमीचन्द उर्फ नेमाराम माता चुन्नी देवी पुत्र तुलसाराम जाति– रेगर उम्र 48 वर्ष निवासी झूंठा तहसील रायपुर के आम मुख्त्यारधार पुखराज माता चुन्नी देवी पुत्र तुलसाराम जाति रेगर उम्र निवासी झूंठा तहसील– रायपुर जिला ब्यावर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

1. हरजीराम पुत्र लालुराम
2. दाखु पत्नी बाबुलाल
3. राजूराम पुत्र बाबूलाल
4. सुरेश चन्द पुत्र बाबूलाल
5. परमादेवी पुत्री बाबूलाल
6. मोहनराम पुत्र प्रभुराम
7. हेमाराम पुत्र प्रभुराम
8. सोहनराम पुत्र प्रभुराम
9. शैतानराम पुत्र हरदेव
10. ओमाराम पुत्र हरदेव
11. घनश्याम पुत्र हरदेव
12. सुजाराम पुत्र गणेश फौत के का0मु0
    12/1. जयकिशन पुत्र सुजाराम
    12/2. छोटू पुत्र सुजाराम
    जातियान– रेगर, निवासी– केसरपुरा(रास), तहसील– जैतारण,
13. तहसीलदार जैतारण जिला ब्यावर

<u>राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u> <u>तारीख रजू:. 07.10.2020</u>

उपस्थितः–

1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

<u>–:: निर्णय ::–</u> <u>दिनांकः– 18/11/2024</u>

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा केसरपुरा पटवार हल्का रास द्वितीय में स्थित खसरा नम्बर 2904/5 रकबा 25 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी वादीगण का 1/5 हिस्सा निहित है। नकल जमाबन्दी वादपत्र

पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

के साथ पेश है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। वादी संख्या 02 ने वादी संख्या 01 को आम मुख्त्यारधारक घोषित कर रखा है। इसलिए वादी संख्या 01 आम मुख्त्यारधारक की हैसियत से एवं स्वयं रेकर्डेड खातेदार काश्तकार भी है। इसलिए उक्त दावा वादी संख्या 01 की तरफ से पेश है। नकल आम मुख्त्यारनामा की साथ पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी जो वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित है उक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती दर्ज है। जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है तथा उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड में भी पक्षकारान के बीच सामलाती दर्ज है। मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने सुविधा अनुसार काश्त कर रहे है परन्तु राजस्व रेकर्ड में शामलाती होने से उक्त आराजी का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा करवाने हेतु उक्त वादपत्र बंटवाड़ा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी शामलाती होने एवं कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं होने से वादीगण को अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें वादीगण अपनी हिस्से की जमीन को उपजाउ नहीं बना पा रहा है। उसमें ट्बेल नहीं करवा सकता है। सिंचाई के अन्य स्त्रोत का उपयोग अपने इच्छा अनुसार नहीं कर सकता है तथा मौके पर तारबन्दी आदि कार्य करने में वादीगण को कोई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तथा उक्त आराजी सामलाती दर्ज होने से प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर अधिकार होने पर मौके पर आये दिन विवाद होते रहते है। प्रतिवादीगण अपनी मनमर्जी से जमीन का उपयोग उपभोग करते है तथा सामलाती आराजी होने से वादीगण बैंक से ऋण लेने या अन्य सरकारी सहायता भी प्राप्त नहीं कर सकते है। इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत् बंटवाड़ा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज है। जिसका कानूनन बंटवाड़ा नहीं होने से वादीगण कई प्रकार की समस्याओं से गुजर रहे है तब दिनांक 23.09.2020 को वादीगण ने प्रतिवादीगण से आग्रह किया है कि शामलाती आराजी का कानूनन बंटवाड़ा कर ले तब प्रतिवादीगण स्पष्ट रूप से इंकार हो गए एवं वादीगण को ऐलानिया धमकी दी कि उक्त आराजी में उनका कोई हक नहीं है मौके से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर हम प्रतिवादीगण अकेले ही कब्जा जमा लेगें एवं किसी तरह कानूनन बंटवाड़ा नहीं होने देंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने इन गैरकानूनी व नापाक इरादों में कामयाब हो जाते है तो वादीगण हमेशा के लिए अपने साम्पैतिक हक व अधिकारों से महरूम हो जायेगें तथा वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर सम्भव नहीं है तथा प्रतिवादीगण कानून हाथ में लेकर मौके पर लड़ाई झगड़े करते है तो विवाद बढ़ेगा मल्टीप्लीसीटी ऑफ प्रोसिंग्डिस बढ़ेगी। जबकि वादीगण न्याय प्रिय व्यक्ति है। वह लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं करते इसलिए उनके पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बंटवाड़ा स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 13 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार है। इसलिए उन्हे पक्षकार

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 23.03.2020 को वादीगण द्वारा शामलाती भूमि का बंटवाड़ा करवाने हेतु प्रतिवादीगण से निवेदन किया तब प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार हो गये एवं वादीगण को मौके से बेदखल करने की धमकी देने पर बमुकाम केसरपुरा पटवार हल्का रास द्वितीय तहसील जैतारण में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में होने से अन्दर म्याद पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को वास्ते जवाब जरिये सम्मनस तलब किया गया। प्रतिवादीगण को बार–बार अवसर देने के बावजूद पत्रावली में जवाब प्रस्तुत नहीं किया। प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादीगण को बार–बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादीगण ने साक्ष्य शपथ पेश किए, दस्तावेज प्रदर्श करवाए जिन्हें शामिल मिसल किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता वादी की सुनी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद–पत्र, साक्ष्य शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात इत्यादि का गहनता से अध्ययन कर बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया। वादपत्र के साथ संलग्न सरहद मौजा केसरपुरा पटवार हल्का रास द्वितीय के खसरा नम्बर 2904/5 रकबा 25 बीघा किस्म बारानी दोयम की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी/राजस्व रेकॉर्ड अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है। अतः खसरा नम्बर 2904/5 रकबा 25 बीघा(4.0469 हैक्टेयर) किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि में वादीगण के हक–हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई सरहद मौजा केसरपुरा, पटवार हल्का रास द्वितीय, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र– रास, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर, राजस्थान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 2904/5 रकबा 25 बीघा(4.0469 हैक्टेयर) किस्म बारानी दोयम में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावे व मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावे। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2024/949 दिनांक 23/08/2024 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/24/939 दिनांक 21/10/2024 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई। बहस के दौरान वकील अधिवक्ता ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा केसरपुरा, पटवार हल्का रास द्वितीय, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान की वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 2905/5 रकबा 25 बीघा(4.0469 हैक्टेयर) किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	नेमाराम, पुखाराम माता चुन्नीदेवी सा. केसरपुरा खातेदार	2904/7	0.8094	बारानी दोयम	0.20
2.	ओमाराम, घनश्याम, शैतानराम पि. हरदेवराम हि. 1/4, दाखू पत्नी बाबूलाल, परमादेवी पुत्री बाबूलाल, राजूराम, सुरेशचन्द पि. बाबूलाल हि. 1/8, हरजीराम पुत्र लालूराम हि. 1/8, मोहनराम, सोहनराम, हेमाराम पि. प्रभुराम हि. 1/4, सुजाराम पुत्र गणेशराम फौत के का0मु0 जयकिशन, छोटू पि. सुजाराम, अणदाई पत्नी सुजाराम, सोनदेवी, जानादेवी, श्यामादेवी पुत्रियां सुजाराम हि. 1/4 कौम रेगर सा. देह खातेदार	2904/5	3.2375	बारानी दोयम	0.81

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

(प्रविक्रम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 18/11/2024 को सर–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री रवि प्रकाश , आर०ए०एस०

-:: वादीगण :- बनाम -:: प्रतिवादीगण :-

वादीगण:

1. पुखाराम उर्फ पुखराज माता चुन्नी देवी पुत्र तुलसाराम
2. नेमीचन्द उर्फ नेमाराम माता चुन्नी देवी पुत्र तुलसाराम

जातियान- रेगर, निवासीगण- केसरपुरा, तहसील- जैतारण, हाल निवासी- झूंठा तहसील- रायपुर राज०।

नोट- वादी संख्या 02 नेमीचन्द उर्फ नेमाराम माता चुन्नी देवी पुत्र तुलसाराम जाति- रेगर उम्र 48 वर्ष निवासी झूंठा तहसील रायपुर के आम मुख्त्यारधार पुखराज माता चुन्नी देवी पुत्र तुलसाराम जाति रेगर उम्र निवासी झूंठा तहसील- रायपुर जिला ब्यावर राजस्थान।

प्रतिवादीगण:

1. हरजीराम पुत्र लालुराम
2. दाखु पत्नी बाबुलाल
3. राजूराम पुत्र बाबूलाल
4. सुरेश चन्द पुत्र बाबूलाल
5. परमादेवी पुत्री बाबूलाल
6. मोहनराम पुत्र प्रभुराम
7. हेमाराम पुत्र प्रभुराम
8. सोहनराम पुत्र प्रभुराम
9. शैतानराम पुत्र हरदेव
10. ओमाराम पुत्र हरदेव
11. घनश्याम पुत्र हरदेव
12. सुजाराम पुत्र गणेश फौत के का०मु०
    12/1. जयकिशन पुत्र सुजाराम
    12/2. छोटू पुत्र सुजाराम

जातियान- रेगर, निवासी- केसरपुरा(रास), तहसील- जैतारण, तहसीलदार जैतारण जिला ब्यावर

<u>राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मु०न० :रा०वा० स०: 90/2020
निर्णय व डिक्री दिनांक :-18/11/2024

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू .... व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा केसरपुरा, पटवार हल्का रास द्वितीय, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान की वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 2905/5 रकबा 25 बीघा(4.0469 हैक्टेयर) किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	नेमाराम, पुखाराम माता चुन्नीदेवी सा. केसरपुरा खातेदार	2904/7	0.8094	बारानी दोयम	0.20

पदेन सहायक कलेक्टर, ... (मुहर)

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

2.	ओमाराम, घनश्याम, शैतानराम पि. हरदेवराम हि. 1/4, दाखू पत्नी बाबूलाल, परमादेवी पुत्री बाबूलाल, राजूराम, सुरेशचन्द पि. बाबूलाल हि. 1/8, हरजीराम पुत्र लालूराम हि. 1/8, मोहनराम, सोहनराम, हेमाराम पि. प्रभुराम हि. 1/4, सुजाराम पुत्र गणेशराम फौत के का0मु0 जयकिशन, छोटू पि. सुजाराम, अणदाई पत्नी सुजाराम, सोनदेवी, जानादेवी, श्यामादेवी पुत्रियां सुजाराम हि. 1/4 कौम रेगर सा. देह खातेदार	2904/5	3.2375	बारानी दोयम	0.81

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 18/11/2024 को जारी किया गया ।

मोहर

(रविप्रकाश RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील	/	खर्चा गवाहान	/
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	–	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–	मुत्फरिक	
मिजानः–	06-00	मिजानः–	01-00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।